फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रमेश भील बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 68/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 30.07.2024

पत्रावली पेश हुइ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपैराकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दस्तावेज पेश किये गये। शामिल फाईल रहें। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपैराकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम रामा पुत्र जयचन्द भील अंकित है जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रमेश भील पिता जयचन्द भील अंकित हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताया की प्रार्थी के घर का नाम रामा होने से राजस्व अधिकारीयों द्वारा विरासत के नामान्तरण के समय प्रार्थी का नाम रामा अंकित कर दिया गया जबकि सभी दस्तावेजों में रमेश भील पिता जयचन्द भील अंकित है जिससे प्रार्थी का नाम रामा पुत्र जयचन्द भील के बजाय रमेश भील पिता जयचन्द भील संशोधित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि ग्राम अगोरिया पटवार हल्का वराडिया की खाता संख्या नया 193 में श्री रामा पिता जयचन्द भील सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है व खाता संख्या नया 263 में श्री रामा पिता जयचन्द भील सा. देह गैर खातेदार के रूप में दर्ज रेकर्ड हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया की मौतबिरान पुष्टि से पाया गया कि रामा पिता जयचन्द भील एवं रमेश पिता जयचन्द भील दोनो एक ही व्यक्ति है तथा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम अगोरिया में मौजूद नहीं है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा उक्त खातों में श्री रामा पिता जयचन्द भील के बजाय श्री रमेश पिता जयचन्द भील शुद्धि किया जाना प्रस्तावित किया। अधिवक्ता प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशन कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, बिजली बिल की प्रति प्रस्तुत की।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी का नाम रामा पुत्र जयचन्द अंकित है जबकि अन्य सभी दसतावेजो में रमेश भील पिता जयचन्द भील अंकित हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया तथा इस नाम अन्य कोई व्यक्ति ग्राम अगोरिया में मौजुद नहीं होना बताया। अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा [illegible] भीण्डर तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या [illegible] 193 में [illegible] भील [illegible] खातेदार के बजाय रमेश भील पुत्र जयचन्द [illegible] संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं इसी प्रकार खाता संख्या नया 263 में रामा पुत्र जयचन्द भील सा. देह गैर खातेदार के बजाय रमेश भील पुत्र जयचन्द भील सा. देह गैर खातेदार संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष बदस्तूर रहें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:33:03 IST
Reason: SelfAttested